माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – examcontroller@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 680 / परीक्षा / एम0एस0यू0 / 2024–25 दिनांक : 14/05/2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान।
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन हेतु जनरेटर में प्रयुक्त डीजल व्यय के भुगतान हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.03.2025 में प्रस्ताव संख्या 04 में संकल्प (संलग्न) लिया गया है, जिसे कार्य परिषद की बैठक दिनांक 21.03.2025 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः संलग्न पत्र के अनुरुप वस्तुस्थिति से अवगत होकर अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोक्त।

भवदीय,

परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

सहायक कुलसचिव
(परीक्षा)

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, 247120)

https://msuniversity.ac.in Email: fo@msuniversity.ac.in

पत्रांकः 1018 /वित्त/2024–25 दिनांक– 25.03.2025

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर

महोदय,

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.03.2025 में प्रस्ताव सं0–04 पर विचारोपरान्त निम्न संकल्प पारित किया गया है–

''प्रस्ताव 04 विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन हेतु जनरेटर में प्रयुक्त डीजल व्यय के भुगतान हेतु नियम निर्धारण संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संस्तुति **समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन हेतु जनरेटर में प्रयुक्त डीजल व्यय का भुगतान पैतृक विश्वविद्यालय में प्रचलित व्यवस्था एवं मा0 कुलपति जी के निर्देशो के अनुपालन में केवल स्वःवित्त पोषित महाविद्यालयों को ही किया जा रहा है। राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से प्राप्त विकास शुल्क से उक्त व्यय अपने स्तर से किया जाता था परन्तु वर्तमान में व्यक्तिगत परीक्षा की व्यवस्था समाप्त किए जाने के कारण स्वःवित्त पोषित महाविद्यालयों के साथ–साथ राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के समय जनरेटर में प्रयुक्त डीजल व्यय के भुगतान हेतु निम्नवत् निर्णय लिये गये–**

1. परीक्षा केन्द्र पर 05 लीटर प्रति घंटा (प्रतिपाली अधिकतम तीन अथवा चार घंटे, जंहा जैसा हो) के आधार पर जनरेटर में प्रयुक्त डीजल पर होने वाले वास्तविक व्यय की धनराशि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
2. **सम्बन्धित परीक्षा अवधि में यदि एक दिन में विद्युत कटौती एक घंटे से अधिक प्रदर्शित है तो विद्युत कटौती का विस्तृत विवरण (रोस्टर) विद्युत विभाग से प्राप्त कर बिलों के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा। विवरण प्रस्तुत न करने की दशा में डीजल व्यय का भुगतान एक घंटे प्रतिदिन की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।**
3. **नियमानुसार सम्परीक्षा हेतु बिल के साथ प्राचार्य द्वारा जनरेटर की लॉग–बुक की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।''**

उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के निर्णय को मा0 कार्यपरिषद की बैठक दिनाक 21.03.2025 में अनुमोदित किया गया हैं।

अतः आप कृपया नियमानुसार आगामी कार्यवाही कराते हुए संबंधित को सूचित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

25.3.25

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि–

कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

वित्त अधिकारी